

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 552]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 14, शक 1933

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 03-12-2011-सत्रह-मेडि-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिक वर्गीय (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं. अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) अनुसूची-तीन में, शीर्षक “राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम” में अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“4.	नेत्र सहायक (आफ्थलमिक असिस्टेंट).	18	35	1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा/ (10+2) शिक्षा पद्धति से विज्ञान समूह में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. 2. राज्य की चिकित्सा संस्था से नेत्र सहायक (आफ्थलमिक असिस्टेंट) का दो वर्षीय प्रशिक्षण	संभागीय पदोन्नति समिति द्वारा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या दृष्टिमिति तथा अपवर्तन (आप्टोमेट्री एण्ड रिफेरेक्शन) में डिप्लोमा तथा नेत्र शिविर तथा अन्य में 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए.

(2) अनुसूची-चार में अनुक्रमांक 23 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“23.	बहुउद्देशीय पुरुष कार्यकर्ता/ ड्रेसर कम्पाउण्डर/भेषज श्रेणी-2.	नेत्र सहायक (आफ्थलमिक असिस्टेंट).	(1) 5 वर्ष (2) हायर सेकेण्डरी परीक्षा/ (10+2) शिक्षा पद्धति से विज्ञान समूह में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (3) नेत्र सहायक (आफ्थलमिक असिस्टेंट) का दो वर्षीय प्रशिक्षण.	1. वरिष्ठ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (संभाग). —अध्यक्ष 2. उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (मलेरिया) (संभाग). 3. क्षेत्रीय/जिला कुष्ठ अधिकारी —प्रथम (वरिष्ठतम्) उपरोक्त तीन व्यक्तियों में से वरिष्ठतम् —अधिकारी अध्यक्ष होगा तथा अन्य दो सदस्य होंगे. 4. जिला परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य अधिकारी. —सदस्य 5. जिला मलेरिया अधिकारी (मुख्य कार्यालय) —सदस्य”

No. F 3-12-2011-XVII-M-1.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh, Public Health and Family Welfare Department Non-Ministerial (related to the Directorate Health Services) Class III Service Recruitment Rules, 1989, namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) In Schedule-3 in the heading “National Blidness Prevention Programme”, for serial number 4,

and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4	Ophthalmic Assistant	18	35	1. Should have passed Higher Secondary Examination/12th Class Examination in 10+2 Educational System with Science Group.  2. Should have passed two years training course Ophthalmic Assistant from Medical Institution of the State or should have Diploma in Optometry and Refraction and 3 months training for Eye Camps and other.	By Divisional Level D.P.C."

(2) In schedule-4, for serial number 23 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"23.	Multipurpose Male worker/Dresser/Compounder/Pharmacist Grade-2.	Ophthalmic Assistant	1. 5 years. 2. Should have passed Higher Secondary Examination/12th Class Examination in 10+2 Educational System with Science Group. 3. Two years Ophthalmic Assistant Training.	1. Senior most Chief Medical and Health officer (Division—Chairman) 2. Deputy Director of Health Services (Malaria) (Division). 3. Regional/District Leprosy Officer-I (Senior Most).  Out or the three aforesaid persons Senior Officer shall be the Chairman and other two shall be the members. 4. District family Welfare and Health Officer-Member. 5. District Malaria Officer (Head Office)-Member."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश जैन, उपसचिव.